जीसीएमएस नबंरः—2024/68

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर।

पीठासीन अधिकारीः सुभाष कुमार, आरएएएस।

निगरानी पंचायत प्रकरण सं0 12/2024

1. अमर सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश, जाति बिश्नोई, निवासी वार्ड न0 01, साधुवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत साधुवाली, जरिए सरपंच ग्राम पंचायत साधुवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. राजवीर सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह, जाति जटसिख, निवासी वार्ड न0 01, साधुवाली, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम विरूद्ध प्रस्ताव/आदेश ग्राम पंचायत साधुवाली जिसकी रूह से दिनांक 26.04.2024 को गलत नोटिस जारी करते हुए निगरानीकर्ता के खरीदशुदा आवासीय भूखंड में से कुछ जगह को गलत तौर से व गलत पैमाईश(बिना पैमाइश का आधार बताये) आम रास्ते की जगह मानकर बेदखल करने का गलत आदेश पारित किया गया, बमुराद मनसूखियां।

उपस्थित :

1. श्री चन्द्रकांत यादव, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. सुरेश अरोड़ा, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता।

:: आदेश :: दिनांकः 17.12.2025

निगरानी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि निगरानीकर्ता गांव साधुवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर का स्थायी निवासी है तथा उसने गांव की आबादी में आवासीय भूखंड इकरारनामा के आधार पर क्रय कर अपनी लागत से निर्माण कार्य करवाया हुआ है। जिसका आंशिक नक्शा जिसमें आसा—पासा आदि दर्शाया हुआ है शामिल है, जिसका वह मालिक व हकदार है। निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत द्वारा किसी गलत

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

आदेश के आधार पर कोई गलत प्रस्ताव पास कर तथाकथित पत्र कमांक पंसग/प. शा./2023–24/762 व पत्र कमांक जी.प.ग./पंचायत 2023/1648 दिनांक 25.08. 2023 व दिनांक 01.02.2024 व ग्रा.प./अतिक्रमण/2024/57 दिनांक 26.04.2024 अंकित करते हुए एक नोटिस दिनांक 26.04.2024 को कमांक 57 जारी किया गया जिसके द्वारा उसको गांव की आम सड़क की जगह पर अतिक्रमी होने का मानकर कब्जा हटाने अथवा कानूनी कार्यवाही करने का लिखा गया है जबकि ना तो यह कथित किया गया है कि निगरानीकर्ता के भूखंड की पैमाइश के लिए किस पत्थर से अथवा किस स्वीकृत रिकॉर्ड के आधार पर पैमाईश की गई तथा किस प्रकार से कितनी कथित आम सड़क की जगह पर नाजायज कब्जा पाया गया है जबकि मेरे कक्षीकार को पता चला है कि पहले उसके मकान के उत्तर दिशा में नाजायज कब्जा होने का कहा गया तथा बाद में दक्षिण दिशा में कथित नाजायज कब्जा माना गया, इस प्रकार से स्पष्ट है कि वास्तव में किसी स्वीकृत पत्थर से कभी पेमाईश नहीं करवायी तथा ना ही किसी आम सड़क की जगह पर निगरानीकर्ता का कोई कब्जा नाजायज पाया गया है, इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा किसी गलत आदेश के आधार पर गलत प्रस्ताव पास कर बेदखली का गलत नोटिस जारी किया गया है तथा ऐसा नोटिस दिनांक 26.04.2024 स्वयं भी एक आदेश की परिभाषा में आता है जो कि निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव/आदेश पारित करने से पूर्व ना तो निगरानीकर्ता को सुनवाई का कोई समुचित अवसर दिया गया तथा ना ही उसके सामने उसके मकान की मलकीयत का रिकॉर्ड लेकर तथा उसको स्वीकृत पत्थर दिखलाकर कभी पैमाईश की गई बल्कि मनमाने तौर से तथा गांव में पार्टीबाजी होने के कारण विरोधी पार्टी के अनुचित प्रभाव में आकर एवं अपने लोगों को अनुचित लाभ देने के नियत से गलत आदेश पारित किया गया है जो कि निरस्तनीय है। ग्राम पंचायत द्वारा वास्तव में कभी कोई मीटिंग आहूत नहीं की गई तथा ना ही कोई प्रस्ताव पास किया गया, इस प्रकार बिना कानूनी प्रकिया अपनाये गलत तौर से निगरानीकर्ता को उसकी संपति से बेदखल करने तथा उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन करने की नियत से आदेश जेर निगरानी पारित किया गया है जो कि जाहिरा तौर से निरस्तनीय है, जबकि पंचायत को केवलमात्र विधि के प्रावधानों के अनुसार पंचायत की मीटिंग में सर्वसम्मति के उपरांत ही कार्यवाही करने का अधिकार रहता है, इस प्रकार आदेश दिनांक 26.04.2024 निरस्तनीय है। निगरानीकर्ता को पूर्व सूचना देकर तथा उसके सामने स्वीकृत पत्थर से पैमाईश करनी आवश्यक थी मगर ऐसा ना करके भारी कानूनी भूल की गई है। अतः आदेश गलत व यकतरफा होने से निरस्तनीय है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

लिहाजा निगरानी पेश कर अर्ज है कि निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत साधुवाली का प्रस्ताव/आदेश और निगरानी को निरस्त करने का हुक्म फरमाया जावे।

निगरानी प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से रेकार्ड तलब किया गया।

गैरनिगरानीकर्ता संख्या-1, सरपंच ग्राम पंचायत साधुवाली, प.स. श्रीगंगानगर ने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि :-

1. निगरानी याचिका की चरण संख्या 1 के तथ्यों में निगरानीकर्ता के गांव साधुवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर में स्थायी निवासी होने से कोई विरोध नही है, परन्तु इस चरण में वर्णित शेष तथ्य कि निगरानीकर्ता द्वारा गांव की आबादी में आवासीय भूखंड इकरारनामा के आधार पर क्रय किया गया था और उक्त भूखंड का आंशिक नक्शा जिसमें आसा-पासा दर्शाया हुआ है और मालिक व हकदार होने के तथ्य मिथ्या व गलत होने के कारण अस्वीकार है।
2. निगरानी की चरण संख्या 2 के तथ्य कि निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत के द्वारा किसी गलत आदेश के आधार पर कोई गलत प्रस्ताव पास कर तथाकथित पत्रों के माध्यम से एक नोटिस क्रमांक 57 दिनांक 26.04.2024 को जारी किया गया जिसके द्वारा उसको गांव की आम सड़क की जगह पर अतिक्रमी होना मानकर कब्जा हटाने अथवा कानूनी कार्यवाही करने का लिखा गया है जबकि ना तो यह लिखा गया है कि निगरानीकर्ता के भूखंड की पैमाईश किस रिकॉर्ड के आधार पर की गई है तथा कितनी सड़क पर कब्जा पाया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थी ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को गलत बताकर बेदखली के नोटिस को चुनौती दी गई है। इसके उत्तर में निवेदन है कि पूर्व में राजविन्द्र सिंह पुत्र श्री मलकीत सिंह से गैरनिगरानीकर्ता को शिकायत प्राप्त हुई थी कि सार्वजनिक सड़क आम पर निगरानीकर्ता द्वारा गेट लगाकर मार्ग अवरूध किया गया है और उक्त शिकायत में जिला परिषद श्रीगंगानगर और खंड विकास अधिकारी से पत्र प्राप्त हुए जिस पर खंड विकास अधिकारी द्वारा 2 सदस्य समिति का गठन किया गया और उक्त समिति द्वारा राजविन्द्र सिंह, अमर सिंह निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता एवं मौजीज लोगों की उपस्थिति में विवादित भूखंड एवं दस्तावेजों की जांच की गई। उक्त जांच में दस्तावेजी साक्ष्यों में पाया गया कि राजविन्द्र सिंह के पिता मलकीत सिंह के नाम से दिनांक 25.04.2022 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 90 क्षेत्रफल 55 गुणा 49 जारी किया हुआ है और उक्त पट्टा के साथ संलग्न नक्शा में गली दर्शाई गई है। निगरानीकर्ता के दस्तावजों की जांच

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

करने पर पाया गया कि निगरानीकर्ता के पास इकरारनामा 20 रुपए स्टांप पर दिनांक 30.06.2001 के अनुसार शंकरलाल बिश्नोई पुत्र सांवरमल से प्लाट आहाता संख्या 67 साईज 60 गुणा 56 फूट जिसके आगे 11 फूट गली उत्तर दिशा खुलता है। निगरानीकर्ता द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मुख्य सड़क से गली अर्थात सडक आम पर 11 गुणा 50 फूट में इंटरलॉकिंग सडक का निर्माण करवाया हुआ है जिसकी लागत 252485/- रूपए है जिसका प्रमाण पत्र सहायक अभियंता पंचायत समिति द्वारा जारी किया हुआ है। दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर उक्त जांच का सार यह पाया गया कि निगरानीकर्ता द्वारा सडक आम पर अतिक्रमण किया हुआ है और उक्त अतिक्रमण को मुक्त करवाया जाना आवश्यक है। उक्त जांच की सूचना दिनांक 15.01.2024 को विकास अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित की गई जिस पर दिनांक 15.01.2024 को विकास अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा गैरनिगरानीकर्ता को निगरानीकर्ता द्वारा किए गए अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

3. निगरानी की चरण संख्या 3 के तथ्य गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। निगरानीकर्ता द्वारा सार्वजनिक सडक पर अतिक्रमण किया हुआ है जिसका उल्लेख दस्तोवेजों में वर्णित है और उक्त की जांच करवाने हेतु जिला परिषद व विकास अधिकारी द्वारा गैरनिगरानकर्ता को लिखा गया था और तदोपरांत ही गैरनिगरानीकर्ता द्वारा पूर्ण प्रकिया अपनाकर नोटिस प्रेषित किया गया है। यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि विकास अधिकारी द्वरा जांच करने के निर्देश खंड स्तर पर दिये गये थे जिसकी जांच निष्पक्ष रूप से की गई है और जिसमें निगरानीकर्ता भी शामिल हुआ था और दोनों पक्षों को सूनने के उपरांत जांच अधिकारी द्वारा जांच में निगरानीकर्ता द्वारा अतिक्रमण किया हुआ पाये जाने के पश्चात् वैध रूप से अतिक्रमण हटाए जाने हेतु निर्देश दिया था। उक्त निर्देशों की पालना में ही गैरनिगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्ता को वैध रूप से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु आदेश दिया जाकर सूचना दी गयी है।

4. यह कि निगरानी याचिका की चरण सख्या 4 के तथ्य जिस प्रकार से अभिकथित किये गये है गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। निगरानीकर्ता केवल मात्र माननीय न्यायालय को गुमराह करना चाहता है। गैरनिगरानीकर्ता द्वारा कोई प्रस्ताव निगरानीकर्ता को बेदखल करने हेतु पास नहीं किया गया है बल्कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्ता के द्वारा सार्वजनिक सड़क पर गेट लगाकर किए गए अतिक्रमण को मुक्त करने हेतु आदेश पारित किया गया है और उक्त वैध आदेश की पालना में ही

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

गैरनिगरानीकर्ता द्वारा निगरानीकर्ता के सडक आम पर 11 गुणा 50 फूट पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने की कार्यवाही अमल में लाई गई है।

5. यह कि निगरानी याचिका की चरण संख्या 5 के तथ्य जिस प्रकार से अभिकथित किये गये है गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया दस्तावेजी साक्ष्य से पाया गया कि सडक आम का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में करवाया गया है जिसमें राज्य सरकार की राशि खर्च हुई है। द्वितीय राजविन्द्र सिंह द्वार मलकीत सिंह के पट्टा से प्रमाणित हुआ है कि नक्शे में सार्वजनिक सडक है तृतीय निगरानीकर्त्ता स्वयं द्वारा भी इस तथ्य से कोई विरोध नहीं किया गया है कि उक्त स्थान पर सडक नहीं है। इस प्रकार यह एक स्वीकृत स्थिति है कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए समय समय पर वैध सूचना के माध्यम से निगरानीकर्ता को अपना अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु निगरानीकर्ता के द्वारा सभ्य नागरिक होने के नाते ग्राम पंचायत के निर्देश का कोई पालन नहीं किया गया है। निगरानीकर्ता को सुनवायी का उचित अवसर दिया जाकर जांच में ब्यान लेखबद्ध किए गए हैं और निगरानीकर्ता द्वारा अपना पक्ष रखा गया है और इस तथ्य से कोई इंकारी नहीं है।

6. यह कि निगरानी याचिका की चरण संख्या 7 के तथ्य अस्वीकार है। पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के निर्णय की अपील क्षेत्राधिकार विकास अधिकारी में निहित है परंतु निगरानीकर्ता द्वारा अतिक्रमण की निगरानी याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई है जो किसी प्रकार से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं है। निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांकित 01.02.2024 की सूचना दी गयी थी और निगरानीकर्ता द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है परंतु निगरानीकर्ता द्वारा सूचना दिनांक 26.04.2024 को आधार बनाकर याचिका पेश की गई है जो अंदर मियाद नहीं होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 ने जरिए अधिवक्ता अपना जवाब प्रस्तुत किया कि

1. निगरानी याचिका की चरण संख्या 1 के तथ्यों में निगरानीकर्ता के गांव साधुवाली तह० व जिला श्रीगंगानगर में स्थायी निवासी होने से कोई विरोध नही है परन्तु इस चरण में वर्णित शेष तथ्य कि निगरानीकर्ता द्वारा गांव की आबादी में आवासीय भूखण्ड इकरारनामा के आधार पर क्रय किया गया था और उक्त भूखण्ड का आंशिक नक्शा जिसमें आसा-पासा दर्शाया हुआ है और मालिक व हकदार होने के तथ्य मिथ्या व गलत होने के कारण अस्वीकार है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार से है कि अप्रार्थी संख्या 2 के पिता के नाम से

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अहाता संख्या 67 के एक भाग का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी किया हुआ है।

2. निगरानी याचिका की चरण संख्या 2 के तथ्य जिस प्रकार से अभिकथित किये गये है गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। वास्तविक तथ्य इस प्रकार है कि उत्तरदाता अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की थी कि सार्वजनिक सडक आम पर निगरानीकर्ता द्वारा गेट लगाकर मार्ग अवरूद्ध किया गया है और उक्त शिकायत पर जिला परिषद श्रीगंगानगर एवं खण्ड विकास अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा निर्देश दिये जाने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दो सदसीय समिति का गठन किया गया और उक्त समिति द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 और निगरानीकर्ता एवं गैरनिगरानीकर्ता तथा मौजिज लोगो की उपस्थिति में विवादित भूखण्ड एवं दस्तावेजों की जांच की गयी। उक्त जांच में दस्तावेजी साक्ष्य में पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 2 के पिता मलकीत सिंह के नाम से दिनांक 25.04.2022 को ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 90 क्षेत्रफल 55 गुणा 49 फुट जारी किया हुआ है और उक्त पट्टा के साथ सलग्न नक्शा में गली दर्शायी हुई है जिसमें निगरानीकर्ता द्वारा गेट लगाकर अवरोध किया हुआ है। निगरानीकर्ता के दस्तावेजों की जांच करने पर पाया गया कि निगरानीकर्ता के पास इकरारनामा 20 रूपये स्टाम्प पर दिनांक 30.06.2001 के अनुसार शंकरलाल बिश्नोई पुत्र सावलराम से प्लाट अहाता संख्या 67 साईज 60 गुणा 56 फुट जिसके आगे 11 फुट गली उत्तर दिशा खुलता है। निगरानीकर्ता द्वारा यह भी अवगत करवाया कि ग्राम पंचायत द्वारा मुख्य सडक से गली अर्थात सडक आम पर 11 गुणा 50 फुट में इंटरलाकिंग सडक का निर्माण करवाया हुआ है जिसकी लागत 2,52,485/– रूपये है जिसका प्रमाणपत्र सहायक अभियंता पंचायत समिति द्वारा जारी किया हुआ है। दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर उक्त जांच का सार यह पाया गया कि निगरानीकर्ता द्वारा सडक आम पर अतिक्रमण किया हुआ है और उक्त अतिक्रमण को मुक्त करवाया जाना आवश्यक है। उक्त जांच की सूचना दिनांक 15.01.2024 को विकास अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रेषित की गयी जिस पर दिनांक 15.01.2024 को विकास अधिकारी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को निगरानीकर्ता द्वारा किये गये अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

3. निगरानी याचिका की चरण सख्या 3 के तथ्य गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। निगरानीकर्ता द्वारा सार्वजनिक सडक पर अतिक्रमण किया हुआ है जिसका उल्लेख दस्तावेजों में वर्णित है और उक्त की जांच करवाने हेतु जिला परिषद श्रीगंगानगर व विकास अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अप्रार्थी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 को लिखा गया था और तदोपरांत ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूर्ण प्रक्रिया अपनाकर नोटिस प्रेषित किया गया है। यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि विकास अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा जांच करने के निर्देश खण्ड स्तर पर दिये गये थे जिसकी जांच निष्पक्ष रूप से की गयी है और जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 एवं निगरानीकर्ता भी शामिल हुए थे और दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत जांच अधिकारी द्वारा जांच में निगरानीकर्ता द्वारा अतिक्रमण किया हुआ पाये जाने के पश्चात वैध रूप से अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निर्देश दिया गया था। उक्त निर्देशों की पालना में ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निगरानीकर्ता को वैध रूप से अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश किया जाकर सूचना दी गयी है।

4. निगरानी याचिका की चरण संख्या 4 के तथ्य जिस प्रकार से अभिकथित किये गये है गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। निगरानीकर्ता केवल मात्र माननीय न्यायालय को गुमराह करना चाहता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कोई प्रस्ताव निगरानीकर्ता को बेदखल करने हेतु पारित नही किया है बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निगरानीकर्ता के द्वारा सार्वजनिक सडक पर गेट लगाकर किये गये अतिक्रमण को मुक्त करने हेतु आदेश पारित किया गया है और उक्त वैध आदेश की पालना में ही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा निगरानीकर्ता के सडक आम पर 11 गुणा 50 फुट पर किये गये अतिक्रमण को हटाये जाने की कार्यवाही अमल में लायी गयी है।

5. निगरानी याचिका की चरण संख्या 5 के तथ्य जिस प्रकार से अभिकथित किये गये है गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। प्रथम दृष्टया दस्तावेजी साक्ष्य से पाया गया कि सडक आम का निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में करवाया गया है जिसमें राज्य सरकार की राशि खर्च हुई है द्वितीय अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा मलकीत सिंह के पटटा से प्रमाणित हुआ कि नक्शें में सार्वजनिक सडक है। तृतीय निगरानीकर्ता स्वयं द्वारा भी इस तथ्य से कोई विरोध नही किया गया है कि उक्त स्थान पर सडक नही है। इस प्रकार यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूर्ण रूप से क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए समय समय पर वैध सूचना के माध्यम से निगरानीकर्ता को अपना अतिक्रमण हटाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पूर्व में गली आम में इंटरलाकिंग टाईल्स लगवाकर सडक का निर्माण करवाया गया था और अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी मकान का निर्माण सडक छोडने के उपरांत ही किया हुआ है उक्त सडक पर अप्रार्थी संख्या 2 एवं उसका परिवार अपने मकान की सार संभाल के लिए आते जाते रहे है और दूषित एवं बरसाती जल

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

की निकासी करते रहे है। चूंकि निगरानीकर्ता द्वारा गेट लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 के मकान में दूषित एवं बरसाती जल एकत्रित होने के कारण सीलन आने लगी है इसलिए अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बार–बार निगरानीकर्ता से गेट खोलकर अपने मकान की सार संभाल करने का निवेदन किया जिसे निगरानीकर्ता ने इंकार किया। यदि निगरानीकर्ता सडक आम का गेट स्वयं खोल देता है तो अप्रार्थी संख्या 2 अपने मकान की सार संभाल कर पायेगा और इससे निगरानीकर्ता को भी किसी प्रकार की आपत्ति नही होनी चाहिए।

6. निगरानी याचिका की चरण संख्या 7 के तथ्य अस्वीकार है। पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के निर्णय की अपील क्षेत्राधिकार विकास अधिकारी में निहित है परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा अतिक्रमण की निगरानी याचिका माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है जो किसी प्रकार से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार की नहीं है।
7. निगरानी याचिका की चरण संख्या 8 के तथ्य गलत व मिथ्या होने के कारण अस्वीकार है। निगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत के निर्णय दिनांकित 01.02.2024 की सूचना दी गयी थी और निगरानीकर्ता द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा सूचना दिनांकित 26.04.2024 को आधार बनाकर याचिका पेश की गयी है जो अंदर मियाद नही होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य है।

ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल रिकॉर्ड में उपलब्ध कार्यालय पंचायत समिति, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर का अवलोकन किया गया जिसमें जांच अधिकारी, श्रीकिशनलाल, अति. विकास अधिकारी एवं श्री भूपेश कुमार प्रगति प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा निगरानी से संबंधित अहाता से संबंधित जांच कर रिपोर्ट की गई कि राजविन्द्र सिंह प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टे में ग्राम पंचायत द्वारा जारी बुक संख्या 486 पट्टा संख्या 90 साईज 55 गुणा 49 वर्गफूट में अंकित नक्शे मुताबिक पश्चिम दिशा में गली दर्शा रखी है, प्रार्थी द्वारा अवगत करवाया गया कि इसी गली में ग्राम पंचायत द्वारा इंटरलोकिंग सडक का निर्माण करवाया गया, अप्रार्थी ने इंटरलोकिंग सडक निर्माण उपरांत गेट आगे मुख्य सडक पर लगाकर गली बंद कर दी है। अप्रार्थी अमर सिंह पुत्र ओमप्रकाश बिश्नोई द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज इकरारनामा बैय फाइनल 20/– रूपए स्टांप पर दिनांक 30.06.2001 अनुसार शंकरलाल बिश्नोई पुत्र सांवलाराम जाति बिश्नोई से प्लाट अहाता नं. 67 साईज 60 गुणा 56 वर्गफूट जिसके आगे 11 फूट की गली उत्तर दिशा में खुलता हुआ है, खरीद शुदा दर्शा रखा है। अप्रार्थी अमर सिंह ने लिखित में अवगत कराया कि ग्राम

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत ने मुख्य सडक के साथ–साथ मेरे घर के सामने इसी गली में 11 गुणा 50 वर्ग फूट इंटरलोकिंग सडक का निर्माण कर दिया गया यह गली मेरी व्यक्तिगत है। ग्राम पंचायत द्वारा इंटरलोकिंग सडक मेरी सहमति के बिना करवाया गया। वर्तमान में जो मुल्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, वह राशि ग्राम पंचायत में जमा करवाने के लिए बाध्य रहूंगा। श्री भवानी शंकर ग्राम विकास अधिकारी, साधवाली ने लिखित में अवगत कराया कि ग्राम पंचायत साधवली की आबादी भूमि का नक्शा व खसरा रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी के पिता मलकीत सिंह का दिनांक 25.04.2022 को पट्टा संख्या 90 बुक नं. 486 साईज 55 गुणा 49 का पट्टा जारी किया गया है, जारी पट्टे में पश्चिम दिशा में गली(विवादित) दर्शा रखी है, जिसे ग्राम पंचायत द्वारा एफएफसी(पंचम) में इंटरलोकिंग सडक निर्माण इंटरलोकिंग सडक से अगर सिंह के घर तक व इंटरलोकिंग सडक से महेन्द्र सिंह के घर तक साधवाली, वित्तीय स्वीकृति कमांक 451 दिनांक 07.04.2018, स्वीकृत राशि 252700/–, शुरू दिनांक 01.07.2018 समाप्त दिनांक 10.07.2018, व्यय राशि 252485/– रूपये कर सहायक अभियंता पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है, अप्रार्थी अगर सिंह द्वारा शपथ पत्र में सार्वजनिक गली व इंटरलोकिंग निर्माण हेतु अनापति भी दी गई है, अप्रार्थी द्वारा इंटरलोकिंग सडक निर्माण उपरांत गेट मुख्य सडक पर लगाया गया है। श्रीराम सरपंच ग्राम पंचायत साधुवाली द्वारा प्रार्थी राजविन्द्र सिंह द्वारा की गई शिकायत को सही माना है। प्रार्थी के मकान के पश्चिम में सार्वजनिक गली थी जिसे ग्राम पंचायत द्वारा इंटरलोकिंग सडक का निर्माण करवाया गया। अप्रार्थी अगर सिंह द्वारा गेट हटाकर आगे मुख्य सड़क पर लगाकर गली में अतिक्रमण कर लिया है, गली को खुलवाया जावे। ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थी के पिता के नाम जारी पट्टे में अंकित नक्शे के पश्चिम दिशा में गली है। पडोसी दलीप कुमार पुत्र श्री भजनलाल व अनूप कुमार पुत्र भगवाना राम द्वारा लिखित में अवगत कराया कि प्रार्थी राजविन्द्र सिंह द्वारा की गई शिकायत सही है, अप्रार्थी ने स्वयं मुख्य दरवाजा पूर्व स्थान से हटाकर गली में अतिक्रमण कर मुख्य सड़क पर गेट लगा दिया है। गली अतिक्रमण मुक्त की जावे। जांच अधिकारी भूपेश कुमार प्रगति प्रसार अधिकारी एवं किशन लाल अति. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर ने जांच रिपोर्ट का सार निकाला कि प्रार्थी, अप्रार्थी, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, पडोसियों के बयान एवं प्राप्त संबंधित रिकॉर्ड अनुसार प्रार्थी राजविन्द्र सिंह के मकान के पश्चिम दिशा में (पिता के नाम जारी पट्टे अनुसार) गली है, इसी गली में ग्राम पंचायत साधुवाली द्वारा इंटरलोकिंग सड़क का निर्माण करवाया गया है। अप्रार्थी द्वारा इंटरलोकिंग सड़क निर्माण उपरांत गेट आगे मुख्य सडक पर लगाकर गली पर अतिक्रमण किया है। अतिक्रमण मुक्त करवाया जाना उचित होगा।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

निगरानीकर्ता के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में कथन किया कि :-

1. उपरोक्त अनवान की निगरानी अंतर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 26.04.2024 का पत्र बिना किसी अधिकार के, बिना किसी प्रस्ताव पारित किये निगरानीकर्ता को भेजा गया और निगरानीकर्ता को बिना सुने और बिना पूर्व राजस्व रिकार्ड की जांच किये, बिना निगरानीकर्ता के भूखण्ड की पैमाइश किये, निगरानीकर्ता को परेशान किया जा रहा है और उक्त स्थान, जिसे गली अप्रार्थी व शिकायतकर्ता द्वारा गली बताया गया है वह निगरानीकर्ता की खरीदशुदा सम्पति है। इस कारण ग्राम पंचायत के पत्र दिनांक 26.04.2024 को निरस्त करने के लिए निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी श्रीमान न्यायालय में पेश की।
2. अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत जवाब के पैरा संख्या 2 में जो दिनांक 25.4.2022 को जो पट्टा जारी किया गया उसमे गेलरी को गली का रूप माना गया है क्योंकि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त स्थान पर अपने पशु, वाहन, कृषि साधन आदि रखता था तथा उक्त पट्टे पर पड़ोसी के कोई हस्ताक्षर नही है केवल अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपनी इच्छा अनुरूप गली को दर्शाया है जबकि वह निगरानीकर्ता के घर में बनी गेलरी है जो खरीद शुदा है, और जिस इंटरलाकिंग सड़क का निर्माण करवाया गया वह मुख्य सडक पर ही करवाया गया है ना की अमर सिंह के घर में बनी गेलरी में, क्योकि अमर सिंह के घर का गेट मुख्य सडक पर खुलता है जिसकी रिपोर्ट ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पत्र क्रमाक 238 दिनांक 09.10.2023 में मय नक्शे अनुसार की गई है जिसमें स्पष्ट रूप से अंकन है कि शंकरलाल ने स्वय की गली का बेचान अमर सिंह निगरानीकर्ता को कर दिया और खरीद की दिनांक 30.06. 2001 से ही निगरानीकर्ता द्वारा उक्त गली का निर्माण गेलरी के रूप में किया और अपने घर का मुख्य दरवाजा मुख्य सड़क पर लगवाया जो आज तक लगा हुआ है और निगरानीकर्ता द्वारा पूर्व में पट्टे की फाइल ग्राम पंचायत साधुवाली में दिनांक 02.06.2017 रसीद संख्या 085 आवेदन किया हुआ था जिस पर आज तक कोई कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा नही की गई।
3. यह कि अप्रार्थी संख्या 1 पंचायत द्वारा उक्त स्थान/गली जो निगरानीकर्ता द्वारा अपने शपथ पत्र दिनांक 03.04.2018 में अंकित कर के दिया है वह केवल मुख्य सडक के लिए था क्योकि अमर सिंह के घर का मुख्य दरवाजा मुख्य सडक पर लगाया हुआ है जो अमर सिंह की गेलरी से होता हुआ घर के अंदर जाता है और शपथ पत्र दिनांक 03.04.2018 अमर सिंह निगरानीकर्ता

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

के पैरा संख्या 3 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मेरे उक्त मकान को एक ही गली लगती है अर्थात जो मुख्य सडक है व 4 में स्पष्ट लिखा है कि "सार्वजनिक गली में इंटरलोक चकले जोड़े जाते है तो मुझे इसमे कोई आपति व एतराज नही होगा" और "रिपोर्ट ग्राम विकास अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 238 दिनांक 9.10.2023 में मय नक़्शे अनुसार की गई है जिसमे स्पष्ट रूप से अंकन है की शंकरलाल ने स्वय की गली" अर्थात इससे सिद्ध है कि उक्त स्थान/गली सार्वजनिक ना होकर निगरानीकर्ता कि व्यक्तिगत है।

4. निगरानीकर्ता के द्वारा जब निगरानी श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश की तब केवल मात्र अप्रार्थी ग्राम पंचायत को ही पक्षकार बनाया हुआ था तो तलबी में पेश हुए वकालतनामे में ग्राम पंचायत व बिना पक्षकार बने अप्रार्थी संख्या 2 ने एक ही वकालतनामे पर हस्ताक्षर कर पेश किये जिससे इनकी मिलीभगत साबित होती है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 को पक्षकार श्रीमान न्यायालय ने दिनांक 20.12.2024 को बनाया उससे पूर्व वह उक्त निगरानी में पक्षकार नही था।
5. अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा उक्त स्थान/गली जो उक्त स्थान /गली की कुछ फोटोग्राफ न्यायालय में पेश किये है जिनमे निगरानीकर्ता का मीटर उक्त स्थान/गली में लगा हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है जो दिनांक अप्रार्थी संख्या 2 की शिकायत पर की घर के अंदर मीटर लगा हुआ है जिस पर सतर्कता जांच टीम ने दिनांक 18.07.2025 पुस्तक संख्या 6874 पृष्ठ संख्या 33 पर रिपोर्ट के अनुसार उक्त स्थान/गली में से हटाकर मुख्य सडक पर लगया गया जिससे यह सिद्ध है कि अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं मान रहा है कि यह स्थान/गली सार्वजनिक न होकर निगरानीकर्ता की है।
6. अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा केवल मात्र निगरानीकर्ता को परेशान करने के उदेश्य से बार–बार शिकायत कर रहा है और जबरदस्ती अपने छत के पानी के पतनाले की पाइपे निगरानीकर्ता के घर के उपर निकाल दी जिससे बरसात के समय निगरानीकर्ता के घर को काफी नुक्सान होता है तथा बार बार निगरानीकर्ता को आर्मी का रिटायर कर्मचारी होने की धोंस दिखाकर परेशान करता है। निगरानीकर्ता एक गरीब काश्तकार है तथा बड़ी कोशिशों के बाद उसने यह मकान बनाया और जिसको अब अप्रार्थीगण आपस में मिलकर निगरानीकर्ता को परेशान कर मकान बेचने पर मजबूर कर रहे हैं ताकि इसका लाभ अप्रार्थी संख्या 2 को मिल सके।
7. अहाता संख्या 67 केवल सांवताराम का था जिसका बंटवारा सांवताराम ने स्वयं व अपने पुत्रों में कर दिया था क्योकि उक्त अहाता संख्या 67 में से किसी भी पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा सडक मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

नहीं की अगर ग्राम पंचायत या नगरीय निकाय द्वारा सडक मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण की जाती है तो उसकी कीमत अदा की जाती है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा कोई तथ्य पत्रावली में पेश नहीं किया की उक्त स्थान/गली को कब व किस व्यक्ति से अधिग्रहण किया। पंचायत राज अधिनियम 1994 कि धारा 169 (1) के तहत किसी भी निजी सम्पति को सार्वजनिक उपयोग के लिए सडक बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकार द्वारा निजी सम्पति का अधिग्रहण केवल कानूनी प्रक्रिया और उचित मुआवजे के साथ ही किया जा सकता है। "प्रमोद पुत्र बनवारी लाल पुत्र शंकरलाल पुत्र सांवताराम ने अपने हलफनामा दिनांक 11.11.25 में स्पष्ट रूप से लिखकर दिया है कि अमर सिंह पुत्र ओमप्रकाश को मेरे दादा शंकरलाल पुत्र सांवताराम जो अहाता संख्या 67 में से 60 इन्टू 56 मय गली का बेचान किया था जिस पर केवल अमर सिंह निगरानीकर्ता का ही अधिकार है अन्य किसी का अधिकार नहीं है"।

8. ओम प्रकाश पुत्र कन्हैया लाल निवासी मकान न 107, 1 डी छोटी साधूवाली तह. व जिला श्रीगंगानगर ने जो उक्त पंचायत में वार्ड न. 3 में 2010 से 2015 तक वार्ड पंच, व 2015 से 2020 ओम प्रकाश की पत्नी वार्ड न. 4 में वार्ड पंच रहे है तथा ओम प्रकाश पुत्र कन्हैया लाल वर्ष 2010 से 2020 तक ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष पद पर रहे हैं, जिन्होंने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि शंकरलाल पुत्र सांवताराम ने अहाता संख्या 67 में से 60 इन्टू 56 मय गली का बेचान अमर सिंह निगरानीकर्ता को किया था और ग्राम पंचायत साधुवाली द्वारा या किसी भी नगरीय निकाय द्वारा उक्त अहाता संख्या 67 में सडक मार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण नहीं की इसलिए उक्त स्थान/गली पर केवल अमर सिंह का निजी व्यक्तिगत खरीदशुदा अधिकार है।
9. अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपनी लिखित बहस में जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है उनका उक्त निगरानी के तथ्यों से कोई सम्बन्ध नही है क्योकि उक्त स्थान/गली निगरानीकर्ता की व्यक्तिगत है ना कि सार्वजनिक, केवल मात्र न्यायालय को भृमित करने के उदेश्य से न्यायिक दृष्टान्त पेश किये है जो उक्त निगरानी पर लागू नही होते।
10. माननीय न्यायालय ने निगरानीकर्ता के प्रार्थना–पत्र आदेश 11 नियम 14 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 1 से रिकार्ड भी तलब करने का आदेश दिया परन्तु फिर भी उक्त खसरे व अहाते का रिकार्ड ग्राम पंचायत ने श्रीमान न्यायालय में पेश नहीं किया। पत्रावली के साथ में प्रस्तुत ग्राम विकास अधिकारी श्री भवानी शंकर कि रिपोर्ट दिनांक 15.12.2019 में स्पष्ट रूप से अंकन है कि उक्त खसरे व अहाते का रिकार्ड ग्राम पंचायत के

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

पास नही है, और बिना रिकार्ड के आधार पर ग्राम पंचायत से अप्रार्थी संख्या 2 मिलीभगत कर अपने पट्टे बनवा लिए और पड़ोसी के मकान को गली दर्शाई जो न्यायोचित नही है, और बिना किसी रिकार्ड, आधार व कारण के अप्रार्थीगण द्वारा यह कहना कि उक्त स्थान/गली निगरानीकर्ता की व्यक्तिगत ना होकर सार्वजनिक गली है, झूठा व मनगढंत हो जाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त निगरानी को स्वीकार कर पंचायत अधिनियम के तहत जारी किये गये नोटिस/प्रस्ताव/आदेशो को निरस्त कर निगरानीकर्ता के उक्त मकान का पट्टा मय उक्त स्थान/गली बनाया जाने का आदेश ग्राम पंचायत को दिया जावे।

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 02 ने जरिए अधिवक्ता लिखित बहस प्रस्तुत की है कि उक्त स्थान/गली जो कि अमर सिंह द्वारा अपने शपथ पत्र दिनांकित 03.04.2018 में स्वयं अंकित कर दिया है कि उक्त स्थान सार्वजनिक गली है और मेरे घर तक इंटरलोकिंग सड़क बनाई जावे, जिसके आधार पर ही राज्य सरकार के बजट से सड़क का निर्माण इंटरलोकिंग ईंटे लगाकर किया गया है और गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के पिता मलकीयत सिंह के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा जो पट्टा जारी किया गया है, उसमें भी विवादित गली आम को दिखाया गया है। उपरोक्त पत्र दिनांकित 26.04.2024 स्वयंभू पंचायत द्वारा जारी न किया जाकर, पंचायत द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना में जारी किया गया है। इस कारण पत्र दिनांकित 26.04.2024 पंचायत का आदेश न होकर, उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना में जारी किया गया पत्र है और निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में गलत तथ्यों का समावेश किया गया है, जबकि निगरानीकर्ता एक अतिक्रमी है। निगरानीकर्ता का मलकीयति मकान उपरोक्त गली के अंतिम छोर पर है जहां पर निगरानीकर्ता ने अपने मकान का मुख्य दरवाजा लगाया हुआ है। निगरानीकर्ता द्वारा अपने मकान का मुख्य दरवाजा उपरोक्त गली के मुख्य सड़क पर संपर्क करने के स्थान पर लगाकर गली पर अतिक्रमण कर लिया है तथा गैरनिगरानीकर्ता को अपने मकान के दरवाजे व खिडकियां इस तरफ नहीं खोलने देता व गैरनिगरानीकर्ता के मकान के साथ मिटटी की मेढ लगा कर पानी छोड़ता है जिससे गैरनिगरानीकर्ता का मकान क्षतिग्रस्त हो रहा है जिस पर गैर–निगरानीकर्ता द्वारा पूर्व में पंचायत को प्रार्थना पत्र दिया और तत्कालीन सरपंच द्वारा भी मौका देख कर निगरानीकर्ता को दोषी माना और गली पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए कहा, परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा उक्त आदेश की पालना नहीं करने पर गैर–निगरानीकर्ता, जो कि एक पूर्व सैनिक है, ने कानून को हाथ में न लेकर सम्माननीय जिला कलेक्टर एवं पंचायत के उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित किए व अपनी बटालियन को भी एक पत्र लिखा जिस पर सम्माननीय जिला कलेक्टर द्वारा पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्,

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

श्रीगंगानगर को लिखा और मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर को पत्र लिख कर आदेशित किया कि वह पूर्व सैनिक के मकान के पास पड़ौसी द्वारा गली पर किए गए अतिक्रमण को अतिशीघ्र हटवाएं जिस पर पंचायत समिति द्वारा पत्र ग्राम पंचायत को प्रेषित किए गए, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बार-बार कोई कार्यवाही न करने पर विकास अधिकारी द्वारा स्मरण पत्र भी जारी किए गए और यहां तक भी कहा गया कि अगर उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना नहीं की गई तो पंचायत के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जाएगी जिस पर पंचायत द्वारा यह कार्यवाही की गई है। इस प्रकार से दिनांक 26.04.2024 का पत्र पंचायत का कोई आदेश न होकर, उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना में जारी किया गया पत्र है और पत्र के विरुद्ध निगरानी श्रीमान् न्यायालय में पोषणीय नहीं है। इस कारण यह निगरानी खारिज होने योग्य है। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी निगरानी में मुख्य रूप से आधार यही लिया गया है कि पत्र दिनांक 26.04.2024 बिना अधिकार के जारी किया गया है जिसके सम्बन्ध में पूर्व में ही विस्तारपूर्वक अंकित किया जा चुका है कि यह पत्र पंचायत द्वारा व्यक्तिगत रूप से जारी न किया जाकर, उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना में जारी किया गया है जो विधि में दिए गए प्रावधानों के अनुसार बिल्कुल सही है और ऐसे पत्र के आधार पर निगरानी पोषणीय नहीं है। निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में दूसरा आधार यह लिया है कि उक्त गली निगरानीकर्ता की सार्वजनिक गली है, इस कारण सार्वजनिक गली के सम्बन्ध में कार्यवाही करने का कोई अधिकार पंचायत को नहीं है। यहां यह लिखना आवश्यक है कि स्वयं अमर सिंह द्वारा अपने शपथ पत्र दिनांकित 03.04.2018 में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि, "मेरे घर की तरफ जाने वाली सार्वजनिक गली में इन्टरलॉक चकले जोड़े जाते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति व एतराज नहीं होगा।" इस प्रकार से स्वयं निगरानीकर्ता ने उक्त तथ्यों को स्वीकार किया है कि यह गली, सार्वजनिक गली है और इसी आधार पर ही पंचायत ने राज्य सरकार के बजट से उक्त गली में इन्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवाया। इस प्रकार से निगरानीकर्ता अब यह नहीं कह सकता कि वह गली सार्वजनिक गली न होकर व्यक्तिगत गली है। उसके विरुद्ध विबन्धन का सिद्धान्त लागू होता है। इस सम्बन्ध में सम्माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त A.I.R. 1979 (S.C.) Page 621 का अवलोकन करें जिसमें भी स्पष्ट रूप से यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अपने किसी लिखित, आचरण या कथन से किसी तथ्य को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह उसके पश्चात् उस बात के लिए बाध्य है और वह उस तथ्य से इन्कार नहीं कर सकता। इस कारण उक्त न्यायिक सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में भी निगरानीकर्ता अब इस तथ्य से बाध्य है कि यह गली सार्वजनिक है, न कि निजी और सार्वजनिक सडक पर किसी भी व्यक्ति को निर्माण करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अतिक्रमी इस प्रकार का कोई अनुतोष ही प्राप्त कर सकता है। इस संबंध में गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के अधिवक्ता ने निम्नलिखित नजीरें प्रस्तुत की है:-

i) A.I.R. 1990(All.) Page 19
ii)D.N.J. 2011(1)(S.C.) Page 310
iii) D.N.J. 2014(1)(Raj.) Page 223

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 के अधिवक्ता ने आगे अपनी बहस में कथन किया कि उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में भी सम्माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सार्वजनिक गली पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टातों के अनुसार भी निगरानीकर्ता के द्वारा गली पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाना आवश्यक है। क्योंकि पंचायत द्वारा जो पट्टा गैरनिगरानीकर्ता के पिता मलकीत सिंह के पक्ष में जारी कर पंजीबद्ध करवाया गया है, उसमें भी उक्त गली को भूखंड के पश्चिम दिशा में दिखाया गया है तथा स्वयं निगरानीकर्ता के द्वारा जो इकरारनामा अपने पक्ष में प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी उसके द्वारा उक्त स्थान खरीद किया गया हो, ऐसा कहीं अंकन नहीं है, बल्कि गली दिखाई गई है, क्योंकि जो स्थान विक्रय किया गया है, वह 60'x56' ही दिखाया गया है। अगर यह 50 गुणा 11 की गली भी विक्रय की गई होती तो इसका अंकन भी निगरानीकर्ता के पक्ष में हुए इकरारनामा में आवश्यक रूप से होता है। इस कारण निगरानीकर्ता द्वारा यह कहना कि यह गली निगरानीकर्ता की व्यक्तिगत गली है, झूठा व मनगढंत हो जाता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उपरोक्त निगरानी को निरस्त फरमाते हुए पंचायत अधिनियम के तहत उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए पूर्व के आदेशों की पालना में सार्वजनिक गली पर निगरानीकर्ता द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने के आदेश ग्राम पंचायत को दिए जांए ताकि एक पूर्व सैनिक के अधिकारों की रक्षा हो सके।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

निगरानीकर्ता अधिवक्ता ने अपनी बहस में यह कथन किया कि जब निगरानी श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश की गई तब केवलमात्र अप्रार्थी ग्राम पचांयत को ही पक्षकार बनाया हुआ था तो तलवी में पेश हुए वकालतनामे में ग्राम पंचायत व बिना पक्षकार बने अप्रार्थी संख्या 2 ने एक ही वकालतनामे पर हस्ताक्षर पेश किये, जिससे इनकी मिलीभगत साबित होती है। अधिवक्ता निगरानीकर्ता का उक्त कथन सत्य नहीं

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

है क्योंकि पत्रावली में उपलब्ध वकालतनामा अनुसार गैरनिगरानीकर्ता संख्या–2 राजविन्द्र सिंह पुत्र श्री गलकीत सिंह की ओर से दिनांक 12.07.2024 को अधिवक्ता श्री ऋषिराज ओझा ने वकालतनामा प्रस्तुत किया गया और सरपंच, ग्राम पंचायत साधुवाली की ओर दिनांक 09.09.2024 को वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। अतः निगरानीकर्ता अधिवक्ता का अपनी बहस में किया गया उपरोक्त कथन बिना किसी आधार एवं तथ्य के प्रस्तुत किया गया, जो कि बेबुनियाद एवं न्यायालय कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करने वाला होने से अस्वीकार है।

निगरानीकर्ता ने निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत साधुवाली द्वारा दिनांक 26.04.2024 को जारी नोटिस के विरूद्ध पेश की है। विकास अधिकारी पंचायत समिति श्रीगंगानगर द्वारा अपने पत्रांक 812 दिनांक 07.08.2025 से ग्राम पंचायत साधुवाली द्वारा जारी नोटिस से सम्बन्धित पत्रावली में उपलब्ध जांच रिपोर्ट जो पंचायत समिति, श्रीगंगानगर के जांच अधिकारी भूपेश कुमार प्रगति प्रसार अधिकारी एवं किशन लाल, अति. विकास अधिकारी द्वारा की गई।

जांच अधिकारी भूपेश कुमार प्रगति प्रसार अधिकारी एवं किशन लाल, अति. विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच के संलग्न पेज संख्या 49 पर निगरानीकर्ता अमर सिंह पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी वार्ड न. 1, 1–डी छोटी साधुवाली द्वारा दिनांक 03.04.2018 का शपथ–पत्र पेश किया हुआ है जिसमें शपथग्रहिता अमर सिंह द्वारा अपने शपथ पत्र में क्रम संख्या 04 पर बयान किया है कि **"मैं शपथ पूर्वक ब्यान करता हूं कि मिकर के घर की तरफ जाने वाला रास्ता सार्वजनिक है तथा गांव में अन्य सार्वजनिक रास्तों में इंटरलोक चकले जोड़े जा चुके हैं अगर ग्राम पंचायत साधुवाली द्वारा मेरे घर की तरफ जाने वाली सार्वजनिक गली में इंटरलोक चकले जोड़े जाते हैं तो मुझे इसमें कोई आपति व एतराज नहीं होगा।"** परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा अपने शपथ पत्र दिनांक 03.04.2018 में यह कहीं अंकित नहीं किया है कि मेरे गेट के सामने मेरी स्वयं की गली में चकले लगाये जाते है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। निगरानीकर्ता द्वारा अपने शपथ पत्र में सार्वजनिक गली का हवाला दिया गया है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि वह अपनी स्वयं की गली में चकले लगाये जाने हेतु सहमत है या सार्वजनिक गली में चकले लगाये जाने के लिए, यह एक जांच का विषय है। जिसके सम्बन्ध में विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर को उक्त विवादित गली सार्वजनिक है या स्वयं की पुनः विस्तृत जांच अपने स्तर कमेटी गठित कर करवाई जानी चाहिए। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी अस्वीकार जाकर विकास अधिकारी, पंचायत समिति, श्रीगंगानगर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उक्त विवादित गली सार्वजनिक है या स्वयं की पुनः विस्तृत जांच अपने स्तर कमेटी गठित कर दोनो पक्षकारों को विधिवत्

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

सुनवाई का अवसर देते हुए करवाई जावें। आदेश की प्रति मय रिकार्ड सम्बन्धित ग्राम पंचायत को भेजा जावे एवं निणर्य की प्रति पालनार्थ विकास अधिकारी पंचायत समिति, श्रीगंगानगर को भिजवाई जावें।

आदेश आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुभाष कुमार)

अति0 जिला कलक्टर
(प्रशा०) श्रीगंगानगर।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर